कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)

फोन एवं फैक्स नं. 07749–223077, ई–मेल :balod.court@nic.in

।। आदेश ।।

क्रमांक 76/दो–11–2/2013 **बालोद, दिनांक 05/03/2025**

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 11435/डीई/तीन–18–27/2024 बिलासपुर, दिनांक 23.07.2024 व संलग्न छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के पत्र क. 1597/2039/21–ब/छ.ग./2024 रायपुर, दिनांक 16.07.2024 के द्वारा इस स्थापना हेतु स्वीकृत वाहन चालक के 02 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने की अनुमति प्रदान करने तथा भर्ती एवं चयन समिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को **वाहन चालक (वेतनमान 19500–62000, वेतन मेट्रिक्स लेवल–4)** के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क.	नाम	पिता का नाम	पता
1	2	3	4
1	श्री कालेश्वरानंद साहू	श्री ललित कुमार साहू	बाजार चौक ग्राम सोरम, पोस्ट–भटगांव (रूद्री), तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) पिनकोड–493776
2	श्री विरेन्द्र कुमार यादव	श्री नंदकुमार यादव	मकान नं. 136, ब्लॉक कॉलोनी फिंगेश्वर, वार्ड–13, तहसील–राजिम, जिला– गरियाबंद (छ.ग.) पिनकोड–493992

छ.ग. सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अधीन नियुक्ति की शर्तें :–

1. सामान्य प्रवर्ग के चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार इनके अतिरिक्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति, सेवा पुस्तिका (02 प्रति में) एवं जीपीएफ पासबुक कार्यभार ग्रहण के समय साथ लेकर आयेगें।
2. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र, यदि पूर्व से सत्यापित न हो, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।
3. **चयनित उम्मीदवार, कार्य पर उपस्थिति के समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर ही मेडिकल प्रमाण–पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे।**
4. नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे।
5. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
6. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।

8. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

9. चयनित अभ्यर्थियों को **दिनांक 19.03.2025 तक** अनिवार्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को सिविल जिला बालोद के जिला मुख्यालय अथवा बाह्य न्यायालयों में कहीं भी पदस्थापना की जावेगी तब ऐसे पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा स्थानांतरण के पश्चात नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जावेगा तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

10. उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखी जाती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक 705/दो–11–2/2013 **बालोद, दिनांक 05/03/2025**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थियों से कार्य पर उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेजों का मिलान कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करें।
7. वेतन देयक लिपिक की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आवश्यक सेवा अभिलेख एवं वेतन आहरण हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करावें।
8. श्री कालेश्वरानंद साहू पिता श्री ललित कुमार साहू, पता–बाजार चौक ग्राम सोरम, पोस्ट–भटगांव (रूद्री), तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) पिनकोड–493776
9. श्री विरेन्द्र कुमार यादव पिता श्री नंदकुमार यादव, पता–मकान नं. 136, ब्लॉक कॉलोनी फिंगेश्वर, वार्ड–13, तहसील–राजिम, जिला– गरियाबंद (छ.ग.) पिनकोड–493992

की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि वे अपने चयनित वाहन चालक के पद का **दिनांक 19.03.2025 तक** आवश्यक रूप से समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों व दस्तावेजों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होवें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद (छ.ग.)